सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

SITTING NOTICE

फा. सं.: NCST/DEV-3153/JH/12/2024-ESDW-RU-IV

दिनांक: 11/09/2025

सेवा मे,

श्री अजय नाथ झा,
उपायुक्त,
जिला – बोकारो
जिलाधिकारी कार्यालय,
बोकारो स्टील सिटी, झारखण्ड,
बोकारो, झारखंड 827001
ई: मेल- dc-bok@nic.in

विषय: बोकारो जिला अंतर्गत चास प्रखण्ड के बनसिमली गाँव को पंचायत में शामिल करने के संबंध में श्रीमती रीना किस्कू, बोकारो झारखंड का अभ्यावेदन

संदर्भ: आयोग का नोटिस दिनांक 10.09.2024 (प्रतिलिपि संलग्न)

महोदय,

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एनसीएसटी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है।

2. डॉ आशा लकडा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण / जांच /की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, सम्मेलन कक्ष, 6 वीं मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक **18.09.2025 को 11:40** बजे सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ **व्यक्तिगत रूप से** और माननीया सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

भवदीय

११.९.२०२५

योगेंद्र प्र. यादव / Yogendra P. Yadav
उप सचिव / Deputy Secretary
E.mail ID: rahul.1424@ncst.nic.in

प्रति, सिटिंग मे उपस्थित होने केलिए सूचनार्थ:

श्रीमती रीना किस्कू,
ग्राम बनिमाली टोला श्यामपुर,
पोस्ट पी.एस.
बालीडीह जिला बोकारो-827010,
झारखण्ड -827010,
मोबाइल नंबर:9234266186

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निका
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of Ind

NOTICE

फा. सं.: NCST/DEV-3153/JH/12/2024-ESDW

दिनांक: 10.09.2024

श्रीमती जाधव विजया नारायण राव,
उपायुक्त, बोकारो,
उपायुक्त कार्यालय,
बोकारो स्टील सिटी,
जिला-बोकारो,
झारखंड - 827001
ई-मेल: dc-bok@nic.in

विषय: बोकारो जिले के अंतर्गत चास प्रखण्ड के बनसिमली गाँव को पंचायत में शामिल करने के संबंध में सुश्री रीना किसकु, ग्राम-बनसिमली, टोला-श्यामपुर, पोस्ट व थाना-बालीडिह, जिला-बोकारो, झारखंड से दिनांक 14.06.2024 का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को **सुश्री रीना किसकु से दिनांक 14.06.2024 में** एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है।अतः आपसे एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के **15 दिनों के भीतर** अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्रवाही से सम्बंधित सूचना प्रस्तुत करें ।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग **भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है ।**

संलग्न यथोपरि.

%c

(एच. आर. मीना)
अनुसंधान अधिकारी
ई-मेल: researchofficer-esdw@ncst.nic.in

प्रतिलिपि संलग्न:

सुश्री रीना किसकु,
ग्राम-बनसिमली,
टोला-श्यामपुर, पोस्ट व थाना-बालीडिह,
जिला-बोकारो, झारखंड

7463-64
जारी किया 11/9/24
ISSUED

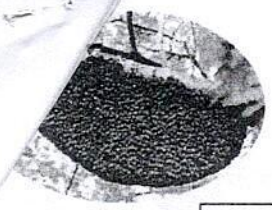

NELE

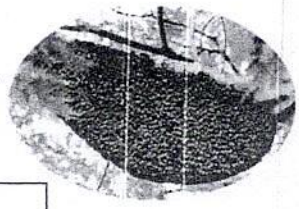

(सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट XXI, 1860 के अधीन निबंधत सामाजिक संस्था)

कार्यालय - ग्राम - श्यामपुर, बन समली थाना- बालीडीह ,जिला - बोकारो- 827010

Ref.No:- Nele - 0102 Date: 14-06-24

सेवा में

मान्नीय अध्यक्ष महोदय,
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार, नई दिल्ली।

विषयः— **बोकारो जिला अंतर्गत चास प्रखण्ड के बनसिमली गाँव को पंचायत में शामिल करने के संबंध में अनुरोध पत्र।**

महाशय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में महाशय का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि बोकारो जिला अंतर्गत चास प्रखण्ड में बनसिमली गाँव बसा हुआ है जो बालीडीह थाना के क्षेत्राधिकार में है।

तत्कालिन बिहार सरकार (वर्तमान झारखण्ड सरकार) द्वारा चतुर्थ इस्पात कारखाना के निर्माणार्थ हमारी जमीन का अधिग्रहण किया गया है। अधिग्रहण करने के समय हमारे पूर्वजों को यह भरोसा दिलाया गया था कि आपलोगों तथा आपलोगों के आने वाले पीढ़ियो को पिढ़ी दर पिढ़ी इस कारखाने में नियोजन दिया जायेगा। सन् 1964 के अधिसूचना के आधार पर चतुर्थ इस्पात कारखाना का निर्माणार्थ हेतु भू—अर्जन वाद सं0— 83/64—65, 171/64—65, 172/64—65, 173/64—65, 89/64—65 एवं 90/64—65 के तहत हमारे जमीन का अधिग्रहण किया गया, अधिग्रहण के समय हमारे पूर्वजों को मुआवजा भुगतान काफी कम मिला था तथा कुछ जमीनों का मुआवजा भुगतान गैर—आदिवासियों द्वारा ले लिया गया।

महाशय, काफी कम मुआवजा भुगतान मिलने के कारण हमारे पूर्वजों में अपने खेतिहर जमीन का दखल—कब्जा न सरकार को दिया, न सेल, बोकारो को दिया। आज भी उस जमीन पर हम खेती करते आ रहे है तथा उस जमीन का प्राकृति में किसी भी तरह का बदलाव नहीं आया है, आज भी वह खेत है। हमारे पास अपना तथा अपने परिवार का जीवन—यापन करने के लिए एक मात्र साधन खेती ही है। यदि हमसे यह खेतिहर जमीन छीन लिया गया तो हम भूमिहीन हो जायेंगे एवं भूखे मर जायेंगे।

सेल, बोकारो के लगभग 5000 एकड़ जमीन पर गैर—विस्थापितों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया गया है जिसको अतिक्रमण मुक्त करने के लिए न तो सेल, बोकारो कोई कदम उठा रही है और न ही झारखण्ड सरकार। ये अतिक्रमण

करने वाले न तो विस्थापित है, न ही आदिवासी है। हमलोगों ने अपने खेतिहर जमीन को किसी भी गैर–विस्थापितो या गैर–आदिवासियों को अतिक्रमण नहीं करने दिये तथा खेती करके ही अपना तथा अपने परिवार का जीवन–यापन करते आ रहे है।

जमीन वापसी के संबंध में **तत्कालिन सरकार के विशेष सचिव श्री अरूप कुमार बसु का पत्र सं0–123 डी0एल0ए0 नीति –1/78 के तहत दिनांक 12.01.1979 को सभी जिला समाहर्ता को पत्र प्रेषित किया गया था। इसके साथ–साथ** झारखण्ड सरकार, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पत्र सं0– 10/डी0 एल0 ए0 विविध–26/2001–168/स0को0/रा0 दिनांक **06.06.2003 को श्री ए0 सी0 रंजन आयुक्त एवं सचिव के द्वारा सभी प्रमण्डलीय आयुक्त एवं उपायुक्त को भू–अर्जन अधिनियम 1894 के अंतर्गत अर्जित भूमि की अधिसूचित परियोजन के लिए** आवश्यकता न होने पर **वापसी के संबंध में** पत्र लिखा गया था।

महाशय, पंचायत में शामिल नहीं होने के कारण बनसिमली गाँव के साथ–साथ इसके जो भी छोटे–छोटे टोले हैं जैसे–श्यामपुर, जो कि पूर्ण रूप से आदिवासी बहुल वाला क्षेत्र है, के लोगों को न तो जाति प्रमाण पत्र बनता है, न आवासीय प्रमाण पत्र बनता है, न ही आय प्रमाण पत्र बनता है, जिसके कारण यहाँ के पढ़े–लिखे योग्य युवक–युवतियां सरकारी नियुक्तियों में भाग नहीं ले पाते है। वर्ष 2019 में हमारे गाँव के लोगों ने लोकसभा के वोट का बहिष्कार किया था, इस बार भी बहिष्कार करने वाले थे, लेकिन उपायुक्त महोदय, बोकारो के निर्देशानुसार प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा ग्रामीणों को यह आश्वासन दिया गया कि इस बार आपके गाँव को पंचायत में शामिल कर लिया जायेगा एवं सारा सुविधा भी आपलोगों को दिया जायेगा, लेकिन वर्तमान समय तक हमारे गाँव को न तो पंचायत में शामिल किया गया है और न ही किसी तरह की सुविधा दी गयी है।

महाशय, हमलोग नेले संस्था के सदस्य है तथा जनहित में काम करते रहते है।

अतः माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली से नम्र अनुरोध है कि हमारे गाँव बनसिमली को पंचायत में शामिल करते हुए हम आदिवासियों को सारा सुविधा दिया जाए। इसके लिए माननीय महामहिम का आभारी रहेंगे।

आपका विश्वासी

<u>संलग्नः</u> संबंधित दस्तावेज

Rina Kisku.

(रिना किस्कु)
पिता–मटुकलाल किस्कु
ग्राम–बनसिमली, टोला–श्यामपुर,
पो0 व थाना–बालीडीह
जिला–बोकारो, झारखण्ड
मो0सं0– 9234266186